न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-150RAAJodhpur2022-66RTA223 Ishwarsingh Vs Dileep kanwar etc

ईश्वरसिंह पुत्र किशनसिंह, जाति राजपूत, निवासी- ग्राम टेकरा, तहसील बाप, जिला जोधपुर,(वर्तमान जिला फलोदी)

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. दिलीप कंवर पत्नी देरावरसिंह
2. सवाईसिंह पुत्र नखतसिंह
   जातियान राजपूत, निवासीगण- ग्राम टेकरा, तहसील बाप, जिला जोधपुर,(वर्तमान जिला फलोदी)
3. केकूकंवर पत्नी भंवरसिंह
4. नेशकंवर पत्नी दीपसिंह
5. बलवीरसिंह पुत्र किशनसिंह
   जातियान् राजपूत, निवासीगण- ग्राम टेकरा, तहसील बाप, जिला जोधपुर,(वर्तमान जिला फलोदी)
6. रुक्मंवर पुत्री मेहराजसिंह जाति राजपूत, निवासी- केतू, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।
7. महेन्द्रसिंह पुत्र देरावरसिंह
8. रसालकंवर पत्नी अर्जुनसिंह
9. रुकमकंवर पत्नी नखतसिंह
10. दीपकंवर पत्नी बन्नेसिंह
11. कमलकंवर पत्नी दुर्गसिंह
12. दुर्गसिंह पुत्र अमरसिंह
13. अर्जुनसिंह पुत्र अमरसिंह
14. भंवरसिंह पुत्र मोडसिंह
15. इन्द्रसिंह पुत्र सोहनसिंह
16. मोहनकंवर पत्नी देरावरसिंह
    जातियान् राजपूत, निवासीगण- ग्राम टेकरा, तहसील बाप, जिला जोधपुर,(वर्तमान जिला फलोदी)
17. पूनमाराम पुत्र दीपाराम
18. हीराराम पुत्र दीपाराम
    जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम भाखड़ा, तहसील बायतू, जिला बाड़मेर।
19. सोभागसिंह पुत्र विजयसिंह, जाति राजपूत, निवासी- ग्राम लोड़ता, हाल निवासी- रूपनगर जोधपुर।
20. हीरसिंह पुत्र गम्भीरसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

21.कमू कंवर पत्नी गम्भीरसिंह
22.भोमसिंह पुत्र गम्भीरसिंह
23.प्रेमसिंह पुत्र गम्भीरसिंह
जातियान् राजपूत, निवासीगण- ग्राम टेकरा, तहसील बाप, जिला जोधपुर,(वर्तमान जिला फलोदी)
24.इलाहाबाद बैंक जरिये शाखा प्रबंधक ग्राम सिहड़ा, तहसील बाप, जिला जोधपुर(हाल जिला फलोदी)
25.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 फरवरी 2022 सहायक कलक्टर बाप राजस्व मूल वाद संख्या 21/2021 दिलीप कंवर व अन्य बनाम केकू कंवर इत्यादि

उपस्थित-
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या पच्चीस
शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 13 दिसंबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 21/2021 अनवान दिलीप कंवर व अन्य बनाम केकू कंवर इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 फरवरी 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 27 अप्रैल 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 4 से 9, 11, 13, 14 व 29 कुल रकबा 812 बीघा 02 बिस्वा ग्राम टेकरा तहसील बाप के संबंध में धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28 फरवरी 2022 के जरिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वाद स्वीकार कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के वाद का कभी कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। विचारण न्यायालय द्वारा गलत रुप से अपीलांट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही लाते हुए वाद को प्रार्थना पत्र की तरह स्वीकार कर लिया। वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में न तो कोई साक्ष्य पेश किये तथा न ही दस्तावेज प्रदर्श करवाये। केवल वाद पत्र के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री कर दिया, जबकि उक्त वाद में प्रस्तुत की गई जमाबंदी में पक्षकारान् के गलत हिस्से दर्ज है। ऐसी स्थिति में उक्त वाद केवल बंटवाड़े का नहीं था। अपीलार्थी ने ग्राम टेकरा के खसरा नं. 09 रकबा 507 बीघा 09 बिस्वा भूमि मूल खातेदार नाथूसिंह पुत्र जवाहरसिंह व भेरूसिंह पुत्र कल्याणसिंह से दिनांक 24.12. 2008 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से 50 बीघा भूमि क्रय की थी। जमाबंदी संवतः 2073-2076 में हिस्से अलग है, जिसमें केवल संपूर्ण रकबे में सभी सहखातेदारों का 1/8 हिस्सा, 1/32 हिस्सा, व 1/32 हिस्सा सहखातेदारी में दर्ज है। तत्पश्चात सेग्रीगेशन के तहत अपीलार्थी ईश्वरसिंह का 50 बीघा के स्थान पर केवल 1/64 हिस्सा दर्ज कर दिया गया, जिसका कोई आधार नहीं है। वादीगण रेस्पोडेंट संख्या एक व दो द्वारा पेश उक्त वाद केवल धारा 53 में चलने काबिल नहीं था, क्योंकि जमाबंदी में हिस्से सही नहीं है। वादीगण द्वारा अपना संपूर्ण हिस्सा खसरा नं. 09 में मांगा गया जो धारा 53 के वाद में कानूनन नहीं दिया जा सकता। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से में भी नहीं दर्शाये। इन खसरों का विभाजन किस प्रकार से किया जायेगा यह अंकित नहीं किया है। निर्णय में केवल खसरा नं. एवं रकबा लिखकर वाद को स्वीकार किया गया है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबकि बंटवाड़े के वाद में पक्षकारान् के हिस्से खोलना आवश्यक है। वादीगण द्वारा वाद में अपने 1/8 हिस्से को अलग करवाने का अनुतोष चाहा है, किंतु जमाबंदी में वादीगण का 1/8 हिस्सा दर्ज ही नहीं है। स कारण धारा 53 में बिना हिस्सा अंकित हुए वाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 फरवरी 2022 को अपास्त फरमाया जावे। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2009(2)आर.आर.टी. पेज 931 की न्यायिक नजीर पेश की।

जवाब में रेसपोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादीगण ने वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार गोपालसिंह पुत्र गजेसिंह से उसके वादग्रस्त आराजी में निहित 1/4 हिस्से मे सें 4/8 हिस्सा अर्थात 1/8 हिस्सा पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 29.06.2002 के जरिये खरीद किया है। वादीगण ने अपने खरीदसुदा हिस्से का विभाजन किये जाने हेतु विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी पर सम्मनो की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वह विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के वाद में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित कर तहसीलदार को नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 24.12.2008 के मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात खसरा नं. 9 रकबा 507 बीघा 09 बिस्वा ग्राम टेकरा में रकबा 50 बीघा भूमि अपीलांट ईश्वरसिंह द्वारा तत्कालीन खातेदार नाथूसिंह पुत्र जवाहरसिंह एवं भैरूसिंह उर्फ मोहनसिंह पुत्र कल्याणसिंह से खरीद किया जाना पाया जाता है, जिसकी पालना में जमाबंदी संवतः 2073-2076 ग्राम टेकरा में अपीलांट का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज है।

वादीगण द्वारा अपने वाद में वादग्रस्त आराजीयात अपना 1/8 हिस्सा निहित होना बताया है तथा उक्त हिस्से का विभाजन चाहा है, किंतु इस संबंध में वाद के साथ प्रस्तुत जमाबंदी संवतः 2073-2076 ग्राम टेकरा के खाता संख्या 105 नवीन एवं पुराना खाता संख्या 100 में वादीगण के हिस्से खुले हुए नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान् के हिस्से खोले बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये तहसीलदार बाप से नियम 18 से 21 पालना मे विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये गये है। अपील स्तर पर प्रस्तुत अद्यतन जमाबंदी संवतः 2077-2080 में अपीलांट का हिस्सा गलत दर्ज है।

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी पर तामीली हेतु भेजे गये सम्मन लेने से इंकार की रिपोर्ट के साथ विचारण न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न है, जिस पर तहसीलदार कार्यालय की मुहर का अभाव है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता में विहित प्रावधानों अनुसार अपीलांट पर सम्मन की सम्यक तामील करवाये बिना उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाया जाना पाया जाता है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय ने धारित किया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया जाकर पारित किया गया आदेश टिकाउ नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा धारित मत के विपरीत जाकर अपीलार्थी को अपना पक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रखने तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 21/2021 अनवान दिलीप कंवर व अन्य बनाम केकू कंवर इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 फरवरी 2022 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट सहित उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत मामले विधिनुसार पुनः निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर